भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 927
उत्तर देने की तारीख : 27.06.2019

धर्मस्थलों और शैक्षिक संस्थाओं का संरक्षण

927. श्री टी॰एन॰ प्रथापनः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यक समुदायों के धर्मस्थलों और शैक्षिक संस्थानों के विरुद्ध बढ़ती घटनाओं के विरुद्ध स्वविवेक से कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों या गृह मंत्रालय से उक्त घटनाओं के संबंध में कोई रिपोर्ट मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) से (घ): संविधान के प्रावधानों के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने; अपराधों के पंजीकरण और मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी, जिनमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए अपराध भी शामिल हैं, संबंधित राज्य सरकारों के पास निहित है। राज्य सरकारें कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

इसके अलावा, देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, केंद्र सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को विभिन्न तरीकों से सहायता प्रदान करती है जैसे कि खुफिया जानकारी को साझा करना, अलर्ट संदेश भेजना, विशिष्ट अनुरोधों पर संबंधित राज्य सरकारों को सांप्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए विशेष रूप से बनाई गई सम्मिश्र रैपिड एक्शन फोर्स सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को भेजना और राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में भी सहायता दी जाती हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार समय–समय पर इस संबंध में अपनी सलाह भेजती है। देश में सांप्रदायिक सौहार्द पर असर रखने वाले सभी संगठनों की गतिविधियों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां निरंतर नजर रखती हैं और जहां भी आवश्यक हो, अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जाती है।

******